



177

न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यू वर्ड ग्वालियर बेंच भोपाल म.प्र.

f 1042/PB-17

पुनरीक्षण क्र- /17

1. ब्रजभूषण दुवे पुत्र स्व० हरिशंकर जाति ब्रा० उम्र करीव 60 साल व्य. कृषि निवासी ग्राम बेलई तह. बेगमगंज जिला रायसेन म०प्र० ।
2. चन्द्रभूषण दुवे पुत्र स्व० हरिशंकर जाति ब्रा० उम्र करीव 42 साल व्य. कृषि निवासी ग्राम बेलई तह. बेगमगंज जिला रायसेन म०प्र०

.....रिवीजनकर्तागण

विरुद्ध

1. कान्ति दुवे वेवा स्व. हरिशंकर दुवे आयु करीव 85 साल निवासी ग्राम वेलई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म०प्र० ।
2. पुष्पा दीक्षित पुत्री स्व. हरिशंकर दुवे पत्नि एस.के. दीक्षित आयु करीव 54 साल निवासी ग्राम सोमनाथपुरम कालोनी सागर म०प्र० ।
3. आशा दुवे पुत्री स्व. हरिशंकर दुवे पत्नि रमाकान्त दुवे आयु करीव 52 साल निवासी - 24, बुंदेलवाडी धार जिला धार म०प्र० ।
4. निर्मला शर्मा पुत्री स्व. हरिशंकर दुवे पत्नि विनोद शर्मा आयु करीव 50 साल निवासी - कोटी स्कूल के सामने विवेकानन्द कालोनी उज्जैन जिला उज्जैन म०प्र० ।
5. विमला शुक्ला पुत्री स्व. हरिशंकर दुवे पत्नि चन्द्रशेखर शुक्ला आयु करीव 45 साल निवासी - अंसाटी वार्ड दमोह जिला दमोह म०प्र० ।
6. रेखा वाजपेयी पुत्री स्व. हरिशंकर दुवे पत्नि योगेन्द्र वाजपेयी आयु करीव 45 साल निवासी - पूरनपुरा विदिशा जिला विदिशा म०प्र० ।

.....अनावेदकगण

रिवीजन अर्न्तगत धारा 51 म०प्र०भू०रा०सं०

रिवीजन अर्न्तगत आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय

बेगमगंज, आदेश दिनांक 16/03/2017 प्र०क्र०12/अपील/16-17

(कान्तिवि०... ब्रजभूषण आदि) के विरुद्ध ।

महोदय.

रिवीजनकर्तागण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

52
ज-16/17
रा

19-27-373 an
रायसेन म.प्र.
273

29/3/17



ब्रजभूषण दुवे

कान्ति

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1042-पीबीआर/2017 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री जगदीश जैन एवं अनावेदक की ओर से श्री ओपी०दुबे अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र०भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>